<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

18.12.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ने 29.10.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), लखनऊ के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत **मेसर्स कोऑपरेटिव कंपनी लिमिटेड और अन्य** के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है । माननीय न्यायालय ने 16.12.2024 को अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है।

ईडी ने पुलिस स्टेशन कोतवाली देहात, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा भारतीय दंड संहिता(आईपीसी), 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत अश्विनी उपाध्याय और मेसर्स कोऑपरेटिव कंपनी लिमिटेड, सहारनपुर टपरी के अन्य निदेशकों/कर्मचारियों के साथ-साथ सीएल-2 गोदाम मालिकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। यह आरोप लगाया गया था कि सीसीएल फर्जी गेट पास का उपयोग करके और उत्पाद शुल्क की चोरी करते हुए "शबनम अंगूरी" ब्रांड नाम से देशी शराब की आपूर्ति कर रही थी, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के खजाने को लगभग 35 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ जबकि कंपनी को उसी अनुपात में लाभ हुआ। बाद में मामला एसआईटी, लखनऊ को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसने जांच के बाद 10 आरोप पत्र दायर किए। एसआईटी, लखनऊ द्वारा दायर आरोपपत्रों से पता चला कि सीसीएल के कर्मचारी आबकारी विभाग द्वारा जारी किए गए एक ही गेट पास पर दो बार शराब ले जाने के लिए डुप्लिकेट बारकोड और क्यूआर कोड जारी करने में शामिल थे। इसके अलावा, सीसीएल प्राप्त एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल की मात्रा में हेरफेर करके बेहिसाब शराब के उत्पादन में भी लगी हुई थी, जिसे कंपनी के खाता बही में दर्ज नहीं किया गया था।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा देशी शराब की अवैध बिक्री और उत्पाद शुल्क की चोरी के माध्यम से अर्जित 34.73 करोड़ रुपये की अपराधकी आय को कंपनी द्वारा नियमित व्यावसायिक गतिविधियों में खर्च कर दिया गया था। इससे पहले 29.07.2021 को ईडी ने सीसीएल के साथ-साथ सीएल-2 गोदामों से संबंधित 06 स्थानों पर पीएमएलए की धारा 17 के तहत तलाशी ली थी। परिणामस्वरूप, उक्त परिसर से 11.26 लाख रुपये की नकदी के साथ-साथ विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

इसके बाद, कंपनी की 34.73 करोड़ रुपये की अचल/चल संपत्ति और अन्य सहित उक्त 11.26 लाख रुपये जब्त किए गए, जिन्हें तीन अनंतिम कुर्की आदेशों अर्थात पीएओ दिनांक 24.05.2023, 03.05.2024 और 27.09.2024 के माध्यम से अनंतिम रूप से कुर्क किया गया।

आगे की जांच जारी है।